फ़रीदाबाद ज़िला न्यायालय में ही उड़ रही उच्चतम न्यायालय के आदेश की धज्जियां

फरीदाबाद कोर्ट परिसर में भी झोलाझाप सक्रिय!

विवेक की विशेष पड़ताल

झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की धज्जियां स्थानीय न्यायालय परिसर में ही देखने को मिल जाएंगी। परिसर में घुसते ही साथ दिए चित्र का नजारा ऐसी ही कहानी खुद बयां कर रहा है।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केरल में सदियों से चली आ रही परम्परा के तहत इलाज करने वाली तथाकथित वैद्य को मेडिकल प्रैक्टिस की आज्ञा नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी अनुमोदित योग्यता के सिर्फ़ पुश्तैनी आधार पर किसी को मरीज़ों का इलाज करने की इज़ाजत नहीं दी जा सकती।

न्यायमूर्ति आर.के.अग्रवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहते हुए गहरी चिंता जाहिर की कि झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

यह सही है कि भारत में आज़ादी के सात दशकों बाद भी झोलाछापों की भरमार है। इसे समाप्त करने के लिये आया उच्चतम न्यायालय का आदेश तब हास्यास्पद जान पड़ा जब फ़रीदाबाद के सेक्टर 12-स्थित ज़िला न्यायालय में एक झोला छाप परिसर की सड़क पर ही एक छोटी बच्ची के कान की सफ़ाई सुई जैसी वस्तु से करता नज़र आया।

बच्ची की दर्द भरी चीख वहां खड़े दसियों पुलिस कर्मियों के साथ-साथ सैंकड़ों वकीलों ने भी सुनी। परन्तु सभी ने उस चीख को वैसे ही नज़र अंदाज कर दिया मानो जैसे न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कर दिया हो।

प्रश्न यह उठता है कि क्या इस कोर्ट के जजों ने आते-जाते झोलाछापों को परिसर में प्रैक्टिस करते नहीं देखा होगा? मंत्रियों, विधायकों का भी आना-जाना इस सेक्टर में लगा ही रहता है तो उन्होंने भी इसे नज़र अंदाज क्यों किया होगा?

आवश्यकता यह जानने की भी है कि क्यों इतनी सख्त टिप्पणियों, कानूनों के बाद भी ये झोलाछाप मासूमों की जान लेने एवं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने को मुक्त छोड़ दिये गये हैं? इस लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण हाल ही में 'उन्नाव' में एक झोलाछाप का एक ही सुई से कई लोगों को संक्रमित करने वाली घटना के रूप में हमारे सामने आया।

दरअसल वास्तविकता यह है कि हमारी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था एवं खर्चीली सुविधाओं ने ही इन झोलाछापों की सामाजिक स्वीकृति पर मोहर लगा दी है।

फ़रीदाबाद के '**स्मार्ट**' बी.के. अस्पताल की स्मार्टनेस का चरित्र चित्रण यदा-कदा अखबारों की सुर्खियों में छाया ही रहता है। तो भारत के सुप्रसिद्ध, दिल्ली के '**एम्स**' सरीखे अस्पतालों की दशा भी कुछ कम दयनीय नहीं बना दी गयी है। वहां इलाज मिलने की प्रक्रिया इतनी जटिल एवं कष्टकारी होती जा रही है कि इस क्रम में आदमी और बीमार होता जाये तो आश्चर्य नहीं।

सरकारी अस्पतालों से तौबा करके प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचने वाला व्यक्ति लाखों के बिल के बोझ तले मरने को मजबूर है। ऐसी सूरत में झोलाछाप ही सामान्य जन को आशा की किरण के रूप में नज़र आते हैं।

मंत्री, जज, वकील, पुलिस सबकी उपस्थिति के उपरांत भी झोलाछापों की कोर्ट परिसर तक में पहुंच का होना यह दर्शाता है कि समाज में इनकी स्वीकृति किस कदर मौजूद है।

प्रथम तो आवश्यकता है झोलाछापों के बीचार झोलों को कड़ाई से जब्त करने की। साथ ही सुलभ एवं सुगम स्वास्थ्य सुविधाओं को आम-जन तक ईमानदारी से पहुंचाने की। मरीज़ों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य योजनायें बनायी ही नहीं, संचालित भी की जायें। प्राइवेट अस्पतालों को बेतहाशा बढते बिलों की व्यवस्था को हतोत्साहित करना भी राष्ट्रहित में ही होगा।

यदि हमारी '**राष्ट्रवादी**' सरकारें सस्ती और सुगम स्वास्थ्य सेवायें आम जन को ग्राम, कस्बे एवं शहरी स्तर पर मुहैया करा सकें तो समाज से झोलाछापों की अस्वीकृति स्वयं ही प्रारम्भ हो जायेगी। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कितनी राहत दिला सकेगा यह फ़रीदाबाद कोर्ट परिसर में ही साफ़ नज़र आ रहा है।

बहुत कठिन है डगर न्याय की...

इतिहास में पहली बार भारत के प्रधान न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लाने की पृष्ठभूमि में, बीस वर्षों से स्थानीय जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे एक वकील की मानें तो लोगों को अदालतों में कुछ भी मिले, न्याय तो नहीं ही मिलता। याचिकाकर्ता या तो ऊपरी अदालत में अपील दाखिल करता है या उसे समझौता करना पड़ता है।

कोर्ट परिसर में रामबीर जो अम्बाला में किसी छोटी-मोटी फैक्ट्री में मजदूर हैं, से जानने को मिला कि न्याय की प्रक्रिया कितनी अन्यायपूर्ण है। रामबीर अपनी बेटी के घरेलू उत्पीड़न मामले को लेकर दो बार अदालत के चक्कर काट चुके परन्तु दूसरे पक्ष का वकील किसी न किसी बहाने अदालत से तारीख बढ़ावा ही लेता है।

हताश रामबीर का कहना है कि अम्बाला से आने जाने का तीन लोगों का खर्च वहां करना उस जैसे एक मजदूर व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है. ऐसी न्याय व्यवस्था के चक्कर में फंसने से तो अच्छा है कि अदालत आना ही छोड़ दें।

एक अन्य अदालत पीड़ित ने बताया, 'वकीलों का चक्कर भाई साहब इतना खराब है कि इससे बढ़िया तो पुलिस है। पुलिस कम से कम तुरंत केस का निपटारा तो करा देती है, वो भी कम से कम में। ये वकील तो हर बार कुछ न कुछ लेते ही रहते हैं पर न्याय तो दूर फैसला भी नहीं मिलता। हास्यास्पद ही जान पड़ा कि जिस पुलिस को रिश्वतखोरी के पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है वह भी हमारी न्यायपालिका की शोहरत के सामने नहीं ठहरती।

सुमन जो ओल्ड फरीदाबाद की मूल निवासी हैं, अपने भाई के लिए कई महीनों से दिल्ली की पटियाला कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। एक एक्सीडेंट में उनके भाई को गंभीर चोटें आयी थीं. बस ट्रांसपोर्टर जिसकी बस से एक्सीडेंट हुआ, हर बार नई कहानी गढ़ कर सुनवाई बढ़वाता रहता है। बीमा कंपनी, जज साहब के सामने बेतुके कारण देती रहती है जैसे कि ड्राईवर का ड्राइविंग लाइसेंस बिहार का है जिसे वे नहीं मानते इत्यादि। और जज भी ऐसी ही दलीलों के बाद तारीख दे देते हैं।

वहां उपस्थित एक और महिला के अनुसार कई जज स्वयं इतने असंवेदनशील होते हैं कि पीड़ित व्यक्ति सहज होकर अपनी बात कह ही नहीं पाता। अक्सर जज साहब दलीलें इतनी तेजी से सुनना चाहते हैं जैसे कि अहसान कर रहे हों कोई। पास ही खड़े एक और नवयुवक ने रोष यह कहते हुए प्रकट किया कि यो सारे के सारे घंटे पूरे करण आवें और एन घंटन में आम पब्लिक नै खाल्ली टहलाया करें यू सब।

संजय यादव नामक एक युवक का कहना था कि पहले तो वकील पेपर बनाने में बहुत समय खा गया उनका और अब शक है कि वह वकील दूसरी पार्टी के वकील से मिल कर सिर्फ उनका पैसा और समय बर्बाद कर रहा है।

कुछ वकील साहबान से बात करने पर अन्दर की बात निकली कि कोर्ट में काम अब पहले के मुकाबले कम है. क्योंकि, एक तो नोटबंदी के बाद रोजगार कम होने से लोग आर्थिक रूप से समर्थवान नहीं हैं मुकदमों को झेलने के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि न्याय की टरकाऊ व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमतर होता जा रहा है।

एक लोकतान्त्रिक देश को संचालित करने का जिम्मा उस राष्ट्र के संस्थानों के कन्धों पर होता है। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे न्यायिक संस्थानों के कंधे न्याय का भार उठाने में दिन प्रतिदिन कमजोर ही होते दिख रहे हैं। अन्यथा नौबत प्रधान न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की न आती।

जब सामान्य न्याय की प्रक्रिया इतनी जटिल है तो संविधान प्रदत्त नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) का क्या औचित्य रह जाता है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था?

- विवेक

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का तमाशा अनशन

असली एजेंडा कुछ और है, पढ़िए स्वतंत्र कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

आजकल अनशन का सीजन चल रहा है। पिछले दिनों देश में बढ़ती सांप्रदायिकता और खराब होते माहौल के खिलाफ कांग्रेस के राहुल गांधी ने कांग्रेस के लोगों के साथ गाँधी समाधि के निकट सांकेतिक उपवास किया, तो लगे हाथ प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर संसद न चलने देने का आरोप लगाकर एक दिन का अनशन कर लिया।

इसी बीच उन्नाव में हुए रेप और जम्मू कश्मीर के कठुआ में बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या के विरोध में देश में लोगों को काफी गुस्सा देखने को मिला। लोगों के इसी गुस्से की लपटों की अपने पक्ष में मोड़ने के लिए एक सही मुद्दे की मांग को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद भी छोटी बच्चियों के साथ रेप करने वालों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर राजघाट के निकट अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई।

इसके अलावा भी 66,000 पुलिस वालों की भर्ती करने, फोरेंसिंक लेब बनाने जैसे कई और भी मागें हैं जिन्हें लेकर स्वाति अनशन पर हैं।

लेकिन दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के अनशन शुरु करने से पहले ही केंद्र सरकार की एक वरिष्ठ मंत्री ने यह घोषणा कर दी कि उनकी सरकार छेटी बच्चियों के साथ रेप करने वालों को कठोर सजा देने के लिए कानून में बदलाव पर काम कर रही है और ऐसे दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा।

हालांकि सरकार की ओर से घोषणा होने के बाद अनशन करने का औचित्य समलझ से बाहर है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि एक सही मुद्दे को लेकर स्वाति अनशन पर हैं। लेकिन इस अनशन की कुछ ऐसी परतें हैं जो किसी ने नहीं खोली हैं जो हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं।

स्वाति राजघाट के पास जिस स्थान पर अनशन कर रही हैं वहां सुबह से शाम तक औरतों की भीड़ दिखाई देती है। टीवी और अखबार उसे भीड़ मानकर अपनी अपनी खबरें कर रहे हैं। लेकिन यह भीड़ किसी आंदोलन में भाग लेने वाली सामान्य भीड़ नहीं है।हमने जब अनशन स्थल पर जाकर पता किया तो पता चला कि इस भी? में अधिकांश वे महिलाएं हैं, जिनका

एनजीओ दिल्ली महिला आयोग के साथ जुड़ा हुआ है। पूछताछ करने पर यह पता चला कि दिल्ली में 70 विधानसभा हैं। दिल्ली की विधानसभा को आधार बनाकर दिल्ली महिला आयोग ने हर विधानसभा में महिला पंचायत के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत हर विधानसभा में एक या दो एनजीओ को महिला पंचायत का अपना प्रोजेक्ट दिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाली एनजीओ को अपनी विधानसभा में महिलाओं में महिला अधिकारों की जागरुकता लाने का काम किया जाता है।

महिला पंचायत का प्रोजेक्ट लेने वाली सभी एनजीओ को मौखिक तौर पर सख्त और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी एनजीओ में काम करने वाली महिलाओं और आसपास की महिलाओं को इस अनशन में भेजें, ताकि सरकार और मीडिया में यह संदेश जाए कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के अनशन को बहुत समर्थन मिल रहा है और पूरी दिल्ली उनका साथ दे रही हैं। इस महिला पंचायत प्रोजेक्ट में काम करने वाली एक महिला जो कि अनशन स्थल पर थी, उसने बताया कि उन्हें सख्ती के साथ कहा गया है कि यदि उन्हें आयोग के साथ काम करना है तो सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक अनशन स्थल पर बैठना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा नहीं करेगा तो वह अपनी नौकरी छोड़ सकता है। यह बात वहां दबे स्वर में एक नहीं, बल्कि एक दर्जन महिलाओं ने बताई।

कुछ महिलाओं ने कहा कि उन्हें सुबह आठ बजे से यहां आना पड़ रहा है, जिस वजह से वे अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर पा रही हैं और उनका परिवार अस्त—व्यस्त हो गया है। एक महिला ने कहा कि उसे अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना था, लेकिन यहां रोज आने की वजह से वह अपने बच्चे का दखिला तक नहीं करवा पा रही है।

तो इस एजेंडे के लिए हो रहा है अनशन

दिल्ली महिला आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दरअसल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल जुलाई में खत्म होने जा रहा है और उनके ऊपर गलत भर्ती करने का भ्रष्टाचार का केस भी चल रहा है, ऐसे में उन्हें डर सता रहा है कि कहीं दिल्ली के एलजी उनकी एक्शटेंशन की फाइल न रोक दें।

आम आदमी पार्टी सूत्र कहते हैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष अपना कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़वाना चाहती हैं, इसलिए उनको लेकर दिल्ली की पब्लिक, मीडिया के बीच यह संदेश जाए कि वे महिलाओं और बच्चियों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकती हैं, इसलिए यह अनशन शुरु किया गया है। इस अनशन के बहाने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष अपने पक्ष मे दिल्ली के लोगों के बीच समर्थन जुटाना चाहती हैं, ताकि भविष्य में एलजी उनके उपर चल रहे भ्रष्टाचार के केस की वजह उनका कार्यकाल बढ़ाने वाली फाइल को रोक दे तो पब्लिक एलजी और केंद्र सरकार के खिलाफ हो जाए और सहानुभूति दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जय हिंद के पक्ष में जाए। गांधी जी की समाधि के सामने अनशन तो शुरु कर दिया गया है, लेकिन इस अनशन में कितनी पवित्रता है यह आप इस रिपोर्ट से खुद समझ गए होंगे।